(11)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 95/2021

उनवान

दयानन्द बनाम भंवर सिंह वगै0

दयानन्द उम्र 63 वर्ष पुत्र जयदेव सिंह जाति जाट निवासी हनुमानपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—वादी

बनाम

1. मृतक भंवर सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/1. बिरजू सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/2. मोती सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/3. दुर्जन सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2. मृतक कल्याण सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/1. बजरंग सिंह आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/2. जय सिंह पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/3. गोपाल सिंह पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/4. सायर कंवर पुत्री स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/5. प्रेम कंवर पुत्री स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/6. अन्तर कंवर पुत्री स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/7. उगम कंवर पुत्री स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

3. शिशुपाल सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

(12)

4. मृतक मदन सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

5. शिशुपाल सिंह पुत्र जयदेव सिंह जाति जाट निवासी हनुमानपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

---प्रतिवादीगण

**उपस्थित अधिवक्ताः–**

1. श्री रामावतार ढाका :– वादी की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

**दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती**

**निर्णय** **दिनांक :– 13.01.2022**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ग्राम हनुमानपुरा का निवासी है। ग्राम हनुमानपुरा एवं जीतास सींवा जोड़ गांव है। दोनों ग्राम का पटवार हल्का हनुमानपुरा है। वादी ने दिनांक 20.03.1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि ख.नं. 63/2 रकबा 11 बीघा 7 विश्वा वाके ग्राम जीतास को खातेदार मदन सिंह व शिशुपालसिंह जाति राजपूत निवासीगण जीतास तहसील व जिला झुन्झुनूं से क्रय किया। रजिस्ट्री करवा कर वादी ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। ख.नं. 63/2 के वर्तमान ख.नं. 118 तथा रकबा 2.87 हैक्टर है। वादग्रस्त भूमि ख.नं. 63 वर्तमान ख.नं. 118 पन्ने सिंह पुत्र तेज सिंह राजपूत निवासी जीतास उर्फ जीतावास के खातेदारी में दर्ज थी जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2012–2015, 2016–2019 तथा 2019–2022 तथा इसके बाद भी पन्ने सिंह पुत्र तेज सिंह के नाम दर्ज होती रही। पन्ने सिंह ख.नं. 63 के अलावा ख.नं. 67 रकबा 51 बीघा 18 विश्वा, ख.नं. 24/1 रकबा 12 बीघा 18 विश्वा तथा ख.नं. 100 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा पुख्ता का भी खातेदार काश्तकार था जिसका इन्द्राज भी जमाबंदी 2012–2015 तथा इसके बाद भी है। स्व. पन्ने सिंह के चार पुत्र हुए जिनके नाम भंवर सिंह, कल्याण सिंह, शिशपालसिंह तथा मदन सिंह है। इनमें से शिशपाल सिंह तथा मदनसिंह ने ख.नं. 63 की 11 बीघा 7 विश्वा भूमि वादी दयानन्द को दिनांक 18.03.1974 को विक्रय पत्र लिखवा कर 20.03.1974 को उप पंजीयक झुन्झुनूं के यहां तस्दीक व पंजीयन करवा दिया। पंजीयन के बाद से वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 का उक्त भूमि पर सतत कब्जा काश्त है। विक्रय के बाद उक्त भूमि का जमाबंदी में इन्द्राज 63/2 करके वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 को 11 बीघा 7 विश्वा पुख्ता भूमि का उप कृषक दर्ज किया गया, जो गलत दर्ज है। वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 खातेदार काश्तकार है जो जमाबंदी सं. 2039–2043 में दर्ज हो कर वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज है। उक्त कब्जे काश्त की भूमि का नया ख.नं. 118 रकबा 2.87 हैक्टर है। जिसके बाबत वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 को उप कृषक रूप से खातेदार कृषक दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 कानूनी रूप से इसके हकदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (ए3) के अन्तर्गत

(13)

कृषक की श्रेणी में उप कृषक भी शामिल है। जब वादी को बैंक ऋण की आवश्यकता हुई तो उसके जमाबंदी की नकल के लिए आवेदन किया। जमाबंदी की नकल वादी को दिनांक 24.04.2009 को प्राप्त हुई। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 को उप कृषक दर्ज किया गया है। इस नकल को प्राप्त करने के बाद वादी ने पूर्व की भी जमाबंदी प्राप्त की। जिसमें भी वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 भी उप कृषक दर्ज किया है। उक्त भूमि वर्तमान ख.नं. 118 रकबा 2.87 हैक्टर में वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 शिशपाल पुत्र जयदेव सिंह दोनों के कब्जे काश्त में है। तथा दोनों ही उप कृषक के रूप में दर्ज है वर्तमान में शिशपाल विदेश में नौकरी करता है इसलिए दावे में (परफोरमा डिफिक्टैड) बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 24.04.2009 को वर्तमान जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुआ जो अब भी जारी है। ग्राम जीतास जहां भूमि ख.नं. 118 स्थित है। तहसील झुन्झुनूं में होने के कारण श्रीमान के न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

सिद्धियाः— वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी दयानन्द तथा प्रतिवादी नं. 5 शिशपाल पुत्र जयदेव सिंह जाति जाट निवासीगण हनुमानपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं को भूमि ख.नं. 118 रकबा 2.87 हैक्टर खाता सं. 31 वाके ग्राम जीतास के उप कृषक की जगह खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। रेवेन्यु रिकार्ड में भी इस संशोधन को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे। अन्य सिद्धि जो न्यायालय उचित तथा पर्याप्त समझे तथा भूलवश मांगे जाने से रह गई हो, वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 को दिलवाई जावे। अतः वाद में वर्णित अनुतोष फरमाया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश दिए जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जबाव दावा पेश किया। दावा दिनांक 02.08.2018 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में न्यायालय की ओर से खारिज किया गया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश किया गया जिसे स्वीकार कर दावा दिनांक 06.04.2021 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाव देही तलब किया गया। इसके उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 2 व 4 का देहान्त होने पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया गया जो स्वीकार कर संसोधित टाईटल शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को नोटिस विधिवत रूप से तामिल होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.08.2021 को लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जबाव दावा के रूप में राजकीय अभिभाषक ने आदेशिका पर अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त किया जा सकता है एवं राजस्व हानि नहीं हो तो कोई एतराज नहीं है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श—1 विक्रय पत्र, प्रदर्श—2 जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015, प्रदर्श—3 जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018, प्रदर्श—4 जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022, प्रदर्श—5 जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2043, प्रदर्श—6 जमाबन्दी सम्वत

2066 से 2069, प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012, प्रदर्श–8 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 से 2078 तक प्रदर्श–9 नक्शा शीट सन् 2009 से 2002, प्रदर्श–10 लगायत 19 रसीद माल का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर है कि सम्वत 2012 से उक्त भूमि की खातेदारी विक्रेतागण के पिता पन्नेसिंह के नाम से रही है। विक्रेतागण शिशुपाल सिंह पुत्र पन्नेसिंह एवं मदन सिंह पुत्र पन्नेसिंह ने जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.1974 द्वारा वादी के नाम से विक्रय पत्र उप पंजीयक झुन्झुनूं के समक्ष तस्दीक करवाया। उक्त दिवस से ही उक्त भूमि खसरा संख्या 63/2 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 2.87 है0 पर वादी दयानन्द पुत्र जयदेव सिंह जाति जाट निवासी हनुमानपुरा का कब्जा काश्त रहा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि दयानन्द, शीशराम पुत्रगण जयदेवसिंह जाट के नाम उप कृषक दर्ज हो गई। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी वादी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित व न्यायोचित है। अतः

## आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम जीतास तहत तहसील झुन्झुनूं के खाता सं. 31 के ख.नं. 118 रकबा 2.87 हैक्टर में उप कृषक दयानन्द, शीशराम पुत्रगण जयदेव सिह जाट का नाम हजफ किया जाकर वादी दयानन्द पुत्र जयदेव सिंह जाति जाट निवासी हनुमानपुरा को विक्रय पत्र के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 2.87 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त रकबा 2.87 है0 विक्रेतागण (शिशुपाल सिंह एवं मदन सिंह पुत्रगण पन्नेसिंह) के शेष हिस्से की भूमि से कम किया जावे। तहसीलदार, मंडावा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

15

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

**न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू**

**पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बरः– 95/2021

उनवान

**दयानन्द बनाम भवर सिंह वगै0**

**दावा बाबतः–घोषणार्थ घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

**दिनांकः– 13.01.2022**

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार ढाका एवं राज्य सरकार की ओर से श्री श्रवण सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 13.01.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है ग्राम जीतास तहत तहसील झुन्झुनूं के खाता सं. 31 के ख.नं. 118 रकबा 2.87 हैक्टर में उप कृषक दयानन्द, शीशराम पुत्रगण जयदेव सिह जाट का नाम हजफ किया जाकर वादी दयानन्द पुत्र जयदेव सिंह जाति जाट निवासी हनुमानपुरा को विकय पत्र के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 2.87 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त रकबा 2.87 है0 विकेतागण (शिशुपाल सिंह एवं मदन सिंह पुत्रगण पन्नेसिंह) के शेष हिस्से की भूमि से कम किया जावे। तहसीलदार, मंडावा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

**(शैलेश खैरवा)**
**उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू**

**वाद के खर्चे**

| **वादी** | **रूपया** | **प्रतिवादी** | **रूपया** |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनतनामा वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनाम | 2<br>46 | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी दावा<br>मेहनतनामा वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनाम<br>मुतफरिक | 00 |
| योग | 48 | | 00 |

**उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू**